संख्या: 799 /X-4-17/1(108)/2017

प्रेषक,

दिनेश यादव,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, इंदिरा नगर, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 **देहरादूनः दिनांक 07 दिसम्बर, 2017**

विषयः–जनपद–उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत महिडाण्डा मोटर मार्ग से बग्यालगॉव मोटर के निर्माण हेतु 0.731 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1358/FP/UK/ROAD/20872/2016, दिनांक 24.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित अभिलेख/सूचनाएं शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने वाले उक्त प्रस्ताव अंतर्गत मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित भूमि के भूस्मावियों/किसानों द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र पर कुछ भूस्वामियों/किसानों की अनापत्ति/हस्ताक्षर है, जबकि कुछ के नहीं है, कृपया सभी की अनापत्ति/हस्ताक्षर अपेक्षित है। उक्त अनापत्ति/हस्ताक्षर संबंधित प्रारूप पर उपलब्ध कराये।
2. ऑन लाईन फार्म–ए, पार्ट–1(1)(एक्स) 30 वर्ष के लिए भूमि हस्तान्तरण प्रयोजन का उल्लेख है। वही शासन को सम्बोधित नोडल अधिकारी के पत्र में मात्र वन भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने का उल्लेख किया गया है, यदि मामला वन भूमि प्रत्यावर्तन का है, तो इसमे 30 वर्ष का उल्लेख क्यों किया गया है, स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
3. ऑन लाईन पार्ट–2–4(2) में बांज के वृक्षों का उल्लेख किया गया है, किंतु वृक्षों की सूची प्रपत्र में उक्त वृक्षों का उल्लेख नहीं है, व बांज वृक्षों के पातन हेतु प्रस्तुत प्रमाण पत्र में शून्य बांज वृक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। उक्त सूचनाएं परस्पर भिन्नता दर्शाती है, कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संख्या: 799 (1)/X-4–17/1(55)/2017, तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0, उत्तरकाशी।

आज्ञा से,
(दिनेश यादव)
अनु सचिव।